-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप अलग-अलग 02 मामलों में कुल 08 अभियुक्तों को 10 हजार 400 रुपए अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित।**

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 02 मामलों में कुल 08 अभियुक्तों को कुल 10 हजार 400 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-251/2023 धारा 147/323/504 भादवि के अभियुक्त 1.जगलाल पुत्र शिवबालक 2.रामसेवक पुत्र हलकु 3.कमलेश पुत्र जगलाल 4. राजेश पुत्र जगलाल 5. सुरेन्द्र पुत्र मुल्लू 6.मुल्लु पुत्र हल्कू 7.अशोक पुत्र हल्कू समस्त निवासीजन ग्राम रैवारा थाना कबरई जनपद महोबा को कुल 7500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया
2. थाना तिंदवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-54/2020 धारा 279/337/338/427 भादवि के अभियुक्त जयप्रकाश पुत्र महावीर निवासी 13-14 पूर्वांचल थाना चिन्हट जनपद लखनऊ को 2900 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।